

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार साहब,
कादीपुर (गुरुग्राम)

विषय: लाइसेंस नं 102 दिनांक 16-5-2008 की जानकारी
फर्द में दर्ज कराने के लिए।

श्रीमानजी,

निवेदन इस प्रकार है कि श्री कम्पनी मुहल्ला नं 17 व किला
नं 8/2 (40), 8/1 (40), 7 (80), 13 (80), 18/1 (2-1), 23/2 (2-4),
18/2 (3-16), 22/2 (1-14), 23/1 (5-16), 3/2 (40), 3/1 (40), 4 (1-9),
27 (0-11), 12 (1-2), 14 (3-5), कुल रकबा 65 कनाल 18 मरले
की मालिक है। उपरोक्त रकबा अराजी बाका सिवाना मौजा पवाला
खुसरपुर उप तहसील कादीपुर जिला गुरुग्राम के अन्तर्गत है।
यह है कि श्री कम्पनी ने उपरोक्त अराजी

पर Commercial Building बनाने का वक्त सरकार को आवेदन
सिमा था। जिसके सन्दर्भ में सरकार ने लाइसेंस नं 102 दिनांक
16-5-2008 को श्री कम्पनी को उदान कर दिया है।

(लाइसेंस के द्वारा कापी साथ संलग्न है)

अतः जनाब से निवेदन है कि उक्त लाइसेंस का हवाला फर्द
जमावदी में दर्ज करवाने का कष्ट करें।

आपकी अति कृपा होगी।

धन्यवाद

अपदीप

मूलरूप में हस्ता-कानूनी/पटवारी को रिपोर्ट/
आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

नायब तहसीलदार
कादीपुर (गुरुग्राम)

100 JAN 2020

For Shrimaya Buildcon Pvt. Ltd.

Director Auth Sign